

87
कैबिनेट संलग्न

द्वितीय अपील क्रमांक : /2015

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (कैम्प उज्जैन)

कैम्प - 2782-11/15

अपीलांत : मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन

विरुद्ध

रेस्पाण्डेंट्स

1. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला ग्राम नागदा द्वारा सागरमल जालवाल सहायक महाप्रबंधक विधि बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन
2. भवानीसिंह शेखावत, महामंत्री 5/1, बी.सी.आई स्टाफ कालोनी नागदा जिला उज्जैन
3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल उज्जैन

मनीष पुम. मन्ना
उज्जैन
20.08.2015

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता बनाराजी आदेश दिनांक 20/07/2015 जो विद्वान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक-2/अपील/2014-15 में पारित किया गया एवं जिसके माध्यम से विद्वान अपर कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक-1/अ-39/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2014 निरस्त कर दिया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 2782-तीन/15

जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश


पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर


10-1-2018

प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अध्ययन किया गया ।

प्रत्यर्था क्रमांक 1 ग्रेसिम इंडस्ट्रील की ओर से Comp. Pettition No. 12/2004 में पारित आदेश दिनांक 18-4-2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-7-2015 का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं । वहीं अपीलार्थी शासन की ओर से कम्पनी अपील नम्बर 03/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2016 द्वारा कम्पनी पिटीशन नम्बर 12/2004 में पारित आदेश दिनांक 18-4-2016 को स्थगित किया गया है ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों को देखते हुए तथा विवाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने से इस न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखी जाती है ।




अध्यक्ष